ग्राम पंचायत समलेऊ, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2022 से 03/2024

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत समलेऊ, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पंचायत समलेऊ में निम्नलिखित प्रधान एवं सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री नरेन्द्र कान्त	01-04-2022 से 31-03-2024

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री रणजीत सिंह	01-04-2022 से 31-03-2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत समलेऊ, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्र० सं०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
01.	वेंडरों/आपूर्तिकर्ताओं से W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही खनन सामग्री का अनियमित क्रय/भुगतान करने बारे।	8.1	10.43
02.	सभा निधि व SDP अनुदान से राशि का दुर्विनियोजन ।	9.1	0.41
03.	मनरेगा अनुदान के तहत सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय बारे।	9.2	23.93
04.	15वें वित्तायोग से मोबाईल फ़ोन के क्रय पर अनियमित व्यय बारे।	9.3	0.21
05.	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय बारे।	9.4	25
06.	बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के आपूर्तिकर्ताओं को अनियमित भुगतान बारे।	9.5	35.85
07.	संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही बिलों का अनियमित भुगतान करने बारे।	9.6	3.33

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत समलेऊ, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखाओं का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 11-11-2024 से 18-11-2024 तक ग्राम पंचायत समलेऊ के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**आय चयनित माह**	**व्यय चयनित माह**
1.	2022-2023	10/2022	05/2022
2.	2023-2024	03/2024	03/2024

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत समलेऊ, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4800/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/12 दिनांक 18-11-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत समलेऊ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4.1 (अ) स्व:-स्त्रोत व अनुदान ग्राम पंचायत समलेऊ के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक स्व:-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है।

1. स्व:-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	**168035.00**	**68133.00**	**236168.00**	**49803.72**	**186364.28**
2023-24	**186364.28**	**69676.00**	**256040.28**	**104087.36**	**151952.92**

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	1382822.55	5771218.00	7154040.55	4700630.74	2453409.81
2023-24	2453409.81	6534744.00	8988153.81	6270439.40	2717714.41

कुल योग (1+2) ₹151952.92 + ₹2717714.41 = ₹2869667.33

(ब) ग्राम पंचायत समलेऊ का दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष विवरण।

क्र० सं०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2024
1.	15^{TH} FC	50100358249732	HDFC Dalhousie	**2218352.30**
2.	Panchayat Smiti	99310100006102	HPGB Samleu	**0.00**
3.	IWMP	99311700012683	HPGB Samleu	**0.00**
4.	WDF	99311700013318	HPGB Samleu	**15402.20**
5.	14^{th} FC	99311700012674	HPGB Samleu	**0.00**
6.	SDP & 5^{th} SFC	99311700012665	HPGB Samleu	**299512.13**
7.	Own Source	99311700012656	HPGB Samleu	**177654.00**
			Cash In hand	**0.00**
			TOTAL	**₹2710920.63**

अन्तर (अ-ब) ₹2869667.33 - ₹2710920.63 ₹158746.70

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹1.59 लाख का अन्तर :-

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत समलेऊ द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3) व 10(1)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी। जिस कारण

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹158746.70 का अन्तर बैंक पासबुक में कम शेष के रूप में पाया गया। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4.1 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 14-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹27.18 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹2717714 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा।

उक्त राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 14-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹1.20 लाख की वसूली न करने बारे।

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय

पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत समलेऊ के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत बकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चूककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्न राशि ₹119600 वसूली हेतु शेष थी।

वित्तीय-वर्ष	गत शेष	कुल परिवार	दर	वर्ष के दौरान मांग	कुल मांग	कुल प्राप्त राशि	बकाया राशि
2022-23	89400	298	50	14900	104300	0	104300
2023-24	104300	306	50	15300	119600	0	119600

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 16-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करना:-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण के शुल्क की वसूली करने उपरान्त वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा निम्नविवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹2450/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के बैंक खाते में रखा गया था जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकृत विवाह	APL Rate		राशि	BPL Rate		राशि	कुल राशि सामान्य व BPL
		Without LateFee	With LateFee		Without Late Fee	With LateFee		
2022-23	05	02@200	03@400	1600	-	-	-	1600
2023-24	03	-	02@400	800	-	01@50	50	850
कुल योग	**08**	**02@200**	**-**	**2400**	**-**	01@50	50	**2450**

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-11 दिनांक 16-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क को पंचायत के बैंक खाते में रखा गया है तथा विलम्ब शुल्क के वसूली नहीं की गई राशि की प्रतिपूर्ति करके इसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा। अत: उपरोक्त राशि ₹2450 की वसूली उपरान्त सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न होने बारे अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 आपूर्तिकर्ताओं/वेडरों से W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही राशि ₹10.43 लाख की खनन सामग्री का अनियमित क्रय/भुगतान करने बारे :-

हि० प्र० माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी कांट्रेक्टर/वेंडर द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फॉर्म W या X प्रस्तुत करना अनिवार्य था अन्यथा आपूर्तिकर्ता से रॉयल्टी की वसूली 25 % पेनल्टी के साथ की जानी प्रावधित की गया थी। परन्तु निदेशक पंचायती राज व ग्रामीण विकास के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 20-11-2023 के अनुसार माननीय हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश के आदेश CWP No. 868 of 2023 की अनुपालना में किसी कांट्रेक्टर से खनन सामग्री की आपूर्ति/क्रय पर वैध ट्रांजिट पास (फॉर्म-W) या

सप्लीमेंट्री ट्रांजिट पास (फॉर्म-X) उपलब्ध करवाने उपरान्त ही भुगतान किया जाना अनिवार्य था।

परन्तु ग्राम पंचायत समलेऊ के चयनित माहों के अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि, पंचायत द्वारा वेंडरों/ठेकेदारों से राशि ₹1043130 (संलग्न **परिशिष्ट "4"** के अनुसार) की खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि की आपूर्ति बिना W,X-फॉर्म प्राप्त किये ही ली गई जिसके परिणामस्वरूप उक्त राशि का अनियमित भुगतान किया गया जोकि उक्त आदेशों/नियमों की पूर्णत: अवहेलना है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04 दिनांक 14-11-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान W,X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही किया गया लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अभिलेखों के अवलोकन व प्रस्तुत उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि, ग्राम पंचायत में निष्पादित कार्यों हेतु क्रय खनन सामग्री के आपूर्ति स्त्रोत की वैधता सुनिश्चित किये बिना ही भुगतान किया गया। जोकि उक्त आदेशों व नियमों के प्रतिकूल है। चूँकि बिना W, X फॉर्म के क्रय से यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वेंडर, जिससे क्रय किया गया वह खनन सामग्री के विक्रय हेतु अधिकृत था अथवा नहीं जिससे अवैध खनन के साथ-साथ खनन सामग्री पर सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व GST, रॉयलटी की वित्तीय हानि की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: उक्त अनियमितता को समर्थित अभिलेखों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.2 संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹4900 की वित्तीय हानि बारे।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (I) के अनुसार आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व TDS की कटौती करना एवं उसे सरकारी कोष में समयबन्ध तिथि को जमा करवाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत समलेऊ के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न विवरणानुसार राशि ₹245000/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जिससे आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना हुई जिसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व के तौर पर राशि ₹4900/- (2%) की वित्तीय हानि आहरण व संवितरण अधिकारी के कारण हुई है।

S.	Vr.No/ Date	Grant/ Head	Detail of Supplier	Service Detail	Amount	TDS@ 2%	Applicable act & Sec.
1.	09/ 08-09-22	15th FC	M/S Sharma Transport VPO Samleu	Hiring of JCB	165000	3300	Income Tax Act 1961 Section **194 I**
2.	11/ 02-12-22	Do	Do	Hiring of JCB	80000	1600	
				TOTAL	245000	4900	

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 14-11-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, टी.डी.एस.के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में इसकी कटौती नहीं की गई परन्तु इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में टी.डी.एस की कटौती किये बिना किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा आयकर अधिनियमों के तहत आहरण व संवितरण अधिकारी से उक्त राशि की वसूली व्याज सहित करके तुरंत सरकारी राजकोष में जमा करवाया जाये इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य मामलों में अपने स्तर पर गणना करके राशि को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

8.3 कनिष्ठ अभियंता स्तर पर निष्पादित राशि ₹83.37 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका इत्यादि प्रस्तुत न करना।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की चयनित माहों की लेखा परीक्षा के दौरान संलग्न **परिशिष्ट "7"** राशि ₹8337495 के करवाए गए कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन, FRA व प्रपत्र-34 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 14-11-2024 के प्रत्युत्तर में कहा कि, उक्त निर्माण कार्यों का निष्पादन कनिष्ठ अभियंता के पास पड़े हैं। अंकेक्षण बारे उने सूचित कर दिया गया था परन्तु न तो उन्होने अभिलेख पंचायत को प्रेषित किये और न ही वे स्वयं उपस्थित हुए। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है चूँकि उक्त कर्मचारियों द्वारा करवाये गए कार्यों के अभिलेखों का पंचायत में उपलब्ध न करवाना आपत्तिजनक है। अत: उक्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध न करवाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए न्यायोचित ठहराया जाये तथा मामले में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.1 पंचायत की सभा निधि व SDP अनुदान से राशि ₹0.41 लाख का सम्भावित दुर्विनियोजन ।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमवाली 2002 के नियम **17(2)** के अनुसार एवं प्रधान सचिव वित्त हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या Fin.(C)A(3)-5/2004 के अनुसार राशि **₹**10000 के ऊपर के समस्त भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से किये जाने अपेक्षित हैं एवं नियम 47 व 48 के अनुसार सभी दावों को सही विशिष्टियां वाले वाउचर द्वारा समर्थित व बिल रजिस्टर में प्रविष्टि तथा नियम 49 के अनुसार

किसी भी भुगतान से पूर्व प्रधान व सचिव द्वारा अदायगी आदेश उपरान्त संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना जरुरी है।

ग्राम पंचायत समलेऊ के व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार ₹40739 (35200+5539) का भुगतान बिल अनुसार दर्शाये गये आपूर्तिकर्ताओं को न करके किसी अन्य व्यक्ति श्री सोहन सिंह को किया गया नियमों के प्रतिकूल व संदिग्ध प्रतीत होता है।

Head	Vr./Date	Supplier as per Cash book	Material & Amount	Payment made to
1. SDP	20/ 12-03-2024	M/S Munna Welding Works	Door, Almirah etc.Rs35200	Paid to Sh. Sohan Singh Vide cheque no.869716 dt.12-03-2024
2.SF/ General	01/ 22-05-2022	HPSEB Sub Division Bakloh	Electricty Bill Rs5539	Paid to Sh. Sohan Singh vide cheque no. 515664 dt 25-05-2022

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09 दिनांक 14-11-2024 द्वारा उक्त गम्भीर प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, राशि 5539 बिजली बिल का नकद भुगतान करने के कारण एवं राशि ₹35200 का भुगतान भी पंचायत चौकीदार श्री सोहन सिंह को किया गया है लेकिन इसे बाद में आपुर्तिकर्ता को दे दिया गया। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। चूँकि नियमानुसार कोई भी भुगतान आपूर्तिकर्ता के बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से किया जाना अपेक्षित था। लेकिन उक्त प्रकरण में आपूर्तिकर्ता को भुगतान न करके पंचायत चौकीदार को भुगतान किया गया है जोकि आपत्तिजनक है अत: उक्त किये गए भुगतान को तथ्यों व समर्थित अभिलेखों सहित न्यायोचित ठहराते हुए अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ प्रेषित करें अन्यथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति करके शीघ्र ही सम्बन्धित खातों में जमा करवा दी जाये तथा विभागीय स्तर पर ऐसे अन्य मामलों की जाँच करके अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये कृत अनुपालना लेखा परीक्षा में वांछित है।

9.2 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत सामग्री पर तय अनुपात से राशि ₹23.93 लाख का अधिक अनियमित व्यय करने बारे।

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश 2013 (MNREGA Operatinal Guidlines 2013) **नियम 7.4** के अंतर्गत पंचायत स्तर पर मजदूरी व सामग्री को तय अनुपात में खर्च किये जाने के नियम प्रावधित हैं। जिसके अंतर्गत मजदूरी लागत का भौतिक लागत से अनुपात अधिनियम में निर्धारित 60:40 (मजदूरी व सामग्री) के न्यूनतम मापदंड से कम नहीं होना चाहिए।

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार सामग्री पर तय अनुपात से राशि ₹2392942 (42.42%) का अधिक व्यय किया गया। चूँकि सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय से रोजगार का कम सृजन हुआ परिणामस्वरूप ग्राम वासियों को कम कार्य दिवस मिले। जोकि न केवल उक्त दिशा-निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु मनरेगा योजना के मौलिक उदेश्य "ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने" को भी हतोत्साहित करता है।

क्रम	वित्तीय वर्ष	कुल व्यय (लाखों में)	मजदूरी पर व्यय (लाखों में)	मजदूरी पर व्यय प्रतिशतता	सामान पर व्यय (लाखों में)	सामान पर व्यय प्रतिशतता
1.	23-2022	31.31	16.90	53.97%	14.41	46.03%
2.	20232-4	60.57	14.30	23.61%	46.27	76.39%
	सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय				2392942	**+42.42%**

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-10 दिनांक 16-11-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा कि, मनरेगा के अंतर्गत करवाये गए कार्यों में सामग्री का अनुपात अधिक होने के कारण सामग्री पर अधिक व्यय किया गया अधिक व्यय की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली जाएगी। अत: उक्त अनियमितता को ठोस तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.3 15वें वित्तायोग से राशि ₹0.21 लाख का अनियमित व्यय करने बारे ।

सचिव व निदेशक पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या PCH-HC(10)1/2018-15th FC-75344-439 दिनांक 02 सितम्बर 2021 के अंतर्गत 15वें वित्तायोग के तहत अनटाईड ग्रांट के अंतर्गत निहित **परिशिष्ट I व II** में उक्त अनुदान के अंतर्गत स्वीकार्य सांकेतिक मदों/कार्यों की सूची में ही व्यय किया जाना अपेक्षित था।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अंकेक्षण दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा 15वें वित्तायोग से निम्न विवरणानुसार राशि ₹20990 का मोबाईल फ़ोन क्रय पर किया गया जोकि उक्त नियम/आदेश के तहत जारी स्वीकार्य सांकेतिक मदों/कार्यों की सूची में निहित न होने के कारण प्रतिकूल प्रतीत होता है।

Sr.No.	Vr.No./Date	Detail of Supplier	Material	Amount
1.	06/ 16-06-2022	M/S Rishav Communication & General Store, Chamba	Mobile Phone Vivo T15G	20990

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 14-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव ने कहा कि, उक्त अनुदान से व्यय राशि की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली जाएगी। अत: उक्त मद पर किये गये व्यय को नियमानुसार न्यायोचित ठहराते हुए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली जाये अन्यथा अनियमित व्यय की प्रतिपूर्ति करके सम्बन्धित खाते में जमा करवा कर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.4 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹25 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें, कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "3"** के अनुसार राशि ₹2499996.74/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय से

सम्बन्धित वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा क्रय विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया है जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 14-11-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, परिशिष्ट क्रमांक 1 से 4 की मदों का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया तथा क्रमांक 5 से 10 के स्टोर/स्टॉक की औपचारिकतायें ब्लाक स्तर पर की गई थी। उत्तर संतोषजक नहीं है।

अत: ब्लाक स्तर पर की गई क्रय औपचारिकताओं के अभिलेखों को एवं विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना किये क्रय को समर्थित अभिलेखों सहित सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.5 बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के राशि ₹35.85 लाख के स्टोर/स्टॉक का अनियमित क्रय व भुगतान करने बारे।

ग्राम पंचायत समलेऊ के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "5"** के अनुसार राशि ₹3584779 का भुगतान विभिन्न सामग्रियों के क्रय की एवज में किया गया परन्तु बिलों के अवलोकन में पाया गया यह बिल प्रॉपर/टैक्स बिल न होकर केवल केश मैमों एवं परफोर्मा बिल हैं। इसके अतिरिक्त उक्त वेंडरों की GST पंजीकरण प्रतिलिपि भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे कि यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उक्त विक्रेता GST धारक है या नहीं ? जिससे कि, इनकी सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी इस प्रकार के बिलों की कुछ प्रतिलिपियाँ अंकेक्षण प्रतिवेदन पर संलग्न हैं।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 14-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कहा कि, पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अधिकतर केश मैमों व परफोर्मा बिलों पर ही दावे

किये गये जिनका भुगतान पंचायत द्वारा GST सहित किया गया परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया जा रहा है अथवा नहीं ? उक्त मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण विभाग को शीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा । अत: इस सम्बन्ध में अपना पक्ष ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करते हुए उक्त किये गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.6 सयुंक हस्ताक्षर के बिना ही राशि ₹3.33 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान हेतु ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव दोनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना जरुरी है।

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत प्रधान द्वारा एकल हस्ताक्षर से ही (संलग्न **परिशिष्ट "6")** राशि ₹332782.54/- भुगतान किये गए थे जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु यह संदिग्ध भी प्रतीत होता है जिसके अंतर्गत राशि के दुर्विनियोजन की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है एवं न ही किये गए भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 14-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव ने कहा कि, भविष्य में नियमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर उपरान्त ही बिलों का भुगतान किया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: नियमाविरुद्ध किये गए भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.7 बैंक द्वारा ग्राम पंचायत के बैंक खातों से कमीशन की कटौती करने बारे।

ग्राम पंचायत समलेऊ के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा बैंकों में संचालित बैंक बचत खातों में से बैंकों द्वारा निम्नविवरणानुसार विविध बैंक चार्जेज, कमीशन इत्यादि की कटौती की जा रही है जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है।

Head	Name of Bank	Account no.	Date	Amount	Expenditure
SDP/ 5^{th} SFC	HPGB Samleu	993117000 12665	30-03-2024	177	ATM Annual Charges
--Do---	------Do-----	------Do-----	31-05-2022	4.72	Bank Charges

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 14-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव ने कहा कि, बैंक द्वारा काटे गये चार्जेज के सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कर्रवाई अमल में लाई जाएगी।

अत: उक्त मामले में बैंको द्वारा चार्जेज, कमीशन इत्यादि की कटौती को समर्थित अभिलेखों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाते हुये काटे गये चार्जेज व कमीशन को वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये तदानुसार कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.8 मनरेगा मटेरियल व वर्क रजिस्टर के संधारण में पाई गई विविध अनियमिततायें एवं मनरेगा रोकड़ बही को प्रस्तुत न करने बारे।

(क) ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन मटेरियल रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत वित्तीय वर्षो 2022-2023 एवं 2023-2024 के दौरान कुल ₹6334584.30 का स्टोर/स्टॉक क्रय किया गया था परन्तु उक्त ऑनलाइन रजिस्टर में क्रय स्टोर/स्टॉक को तकनीकी सहायक द्वारा न तो सत्यापित किया गया था और न ही इसके अथशेष, अन्तशेष तथा स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि का विवरण भरा गया है इसके अतिरिक्त मनरेगा ऑनलाइन वर्क रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, इसमें कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि को नहीं भरा जा रहा है जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इसके अभाव में स्टोर/स्टॉक के दुर्विनियोजन व कार्य में किसी प्रकार के अनिधिकृत समायोजन प्रविष्टि की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

(ख) ग्राम पंचायत के मनरेगा अनुदान की रोकड़ बही को लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया आय-व्यय विवरण को ऑनलाइन वित्तीय विवरण से तैयार किया गया है जिससे कि मनरेगा की रोकड़ बही का सत्यापन नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 16-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि, मनरेगा अनुदान मटेरियल व वर्क रजिस्टर को भविष्य में पूर्ण रूप से भरा जायेगा तथा मनरेगा अनुदान की रोकड़ बही पंचायत में उपलब्ध न होने के कारण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: नियमाविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.9 मनरेगा के अंतर्गत किये भुगतानों के Fund Transfer Orders को प्रस्तुत न करना।

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्ही को भुगतान किया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 16-11-2024 को सचिव को उक्त FTOs को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है अत: FTOs का पंचायत में न पाया जाना को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत समलेऊ के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा समस्त अनुदानों व स्व:-स्त्रोतों की रोकड़ बहियों का संधारण ऑनलाइन व मैन्युअल दोनों माध्यम से किया जा रहा है जबकि विभाग के दिशा-निर्देशों अनुसार रोकड़ बहियों का संधारण e-ग्राम स्वराज में ही किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत द्वारा 15वें वित्तायोग के अतिरिक्त केवल मैनुयल संधारित रोकड़ बहियों को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। अंकेक्षण में प्रस्तुत मैन्युअल संधारित रोकड़ बहियों का रख-रखाव उचित तरीके से नहीं किया गया था इसमें अत्यधिक

कटिंग, फ्लुडिंग इत्यादि की गई थी तथा इसमे न तो अथशेष व अन्तशेष लिए गए हैं और न ही इसमें दर्ज/प्रविष्ट Transctions के प्रगतिशील योग किये गए हैं जोकि न केवल लेखांकन नियमों के विरुद्ध हैं अपितु इससे पंचायत द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट 1 व 2** में लिए अथशेषों व अंतशेषों को सत्यापित किया जा सका। ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़ बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-09 दिनांक 14-11-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, 15वें वित्तायोग के अतिरिक्त अन्य रोकड़ बहियों का संधारण मेनुअल माध्यम से किया जा रहा है एवं ऑनलाइन संधारित रोकड़ बहियाँ अपूर्ण होने के कारण वह लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे।

ग्राम पंचायत समलेऊ के चयनित माहों के अंकेक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट, बैंक बेलेंस सर्टिफिकेट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि, पंचायत के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 14-11-2024 द्वारा पंचायत सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि, उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.4 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में पंचायत के अभिलेखों का सत्यापन नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत द्वारा निम्न वर्णित अभिलेखों को संधारित न करना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह संदिग्ध व आपत्तिजनक भी है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	संधारित नहीं
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
9.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
10.	बिल रजिस्टर	13	48	संधारित नहीं

11.	ग्राम पंचायत का स्टॉक/सामग्री रजिस्टर	01 व 06	34	संधारित नहीं
12.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 14-11-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में विहित रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: उक्त समस्त अभिलेखों के रख-रखाव न किये जाने को ठोस तथ्यों के आधार पर न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर तदानुसार कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत समलेऊ की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 14-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका:**- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष :**- उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की संभावना को पूर्णतः नकारा जा सके।

03 JAN 2025

(कृष्ण लाल नेगी) 03.01.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

76–80 का0/प्र0

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 169/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा हि0प्र0।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत समलेऊ, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

03 JAN 2025

(कृष्ण लाल नेगी) 03.01.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का0/प्र0

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of GP Samleu for the Year 2022-2023 To 2023-2024

1. Own Source

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	168035.00	68133.00	236168.00	49803.72	186364.28
2023-24	186364.28	69676.00	256040.28	104087.36	151952.92

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1382822.55	5771218.00	7154040.55	4700630.74	2453409.81
2023-24	2453409.81	6534744.00	8988153.81	6270439.40	2717714.41

2869667.33

It is certified that GP Samleu has seven cash books out of which 15th FC Online,SF General (SDP, 5thSFC), P.S. 14th FC, IWMP Offline cash books Were Produced and MGREGA cash book was not produced during audit

1+2 (151952.92+2717714.41)

Closing Balance as per Cash Books		2869667.33
Closing Balance as per Bank Passbook		2710920.63
Difference	(Less in Bank Pass books)	158746.70

Pardhan
Gram Panchayat Samleu
Dev. Block Bhattiyat,
Distt. Chamba (H.P.)

सचिव
ग्राम पंचायत समलैऊ
विकास खण्ड भटियात
तह० डलहौजी जिला चम्बा (हि०प्र०)

20 23-22-

परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित

Financial Position Grants in Aids of GP Samleu for the Year to 2022-2023 To 2023-2024

Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2022-23	0.00	3355829.00	3355829.00	3355829.00	0.00
		2023-24	0.00	5659708.00	5659708.00	5659708.00	0.00
2	15TH FC	2022-23	1090092.00	2019455.00	3109547.00	956595.00	2152952.00
		2023-24	2152952.00	448826.00	2601778.00	224670.00	2377108.00
3	P.S	2022-23	407.60	8.00	415.60	283.20	132.40
		2023-24	132.40	2.00	134.40	134.40	0.00
4	IWMP/WDF	2022-23	21747.20	497.00	22244.20	7260.00	14984.20
		2023-24	14984.20	418.00	15402.20	0.00	15402.20
5	14th FC	2022-23	14374.54	89.00	14463.54	14463.54	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	5th SFC/SDP	2022-23	256201.21	395340.00	651541.21	366200.00	285341.21
		2023-24	285341.21	425790.00	711131.21	385927.00	325204.21
		2022-23	1382822.55	5771218.00	7154040.55	4700630.74	2453409.81
		2023-24	2453409.81	6534744.00	8988153.81	6270439.40	2717714.41

Pardhan
Gram Panchayat Samleu
Dev. Block Bhattiyat,
Distt. Chamba (H.P.)

ग्राम पंचायत समलेऊ
विकास खण्ड भटियात
म०० डलहौजी जिला चम्बा (हि०प्र०)

21 25-23-

Reffered in Para no. 9.4

Annexure "3" Store/ stock purchase Iregularties noticed in Codal Formalities in r/o GP Samleu

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID	REMARKS
1	M/S Munna Welding Works VPO Samleu, Chamba	SDP	20/ 12-03-2024	Door Pala, Door Jali & Almera	35200.00	Qutations were not Invited for purchase
2	M/S Sharma Transport, VPO Samleu ,Chamba	15TH FC	09 / 08-09-2022	Hiring Charges of JCB	165000.00	No Tender/ Qutations invited
3	M/S Sharma Transport, VPO Samleu ,Chamba	15TH FC	11/ 02-12-2022	Hiring Charges of JCB	80000.00	Do
4	M/S Munish General Store VPO Samleu, Chamba	14th FC	01/ 17-05-2022	Cricket kit & Volleball etc.	14374.54	do
5	M/S Mahajan Construction Co. VPO Chuwari Chamba	MGREGA	Nil/ 01-03-2024	Paver Blocks 728sq	519719.20	No Quations/ Tender Shown in audit
6	M/S Mahajan Construction Co. VPO Chuwari Chamba	MGREGA	Nil/ 01-03-2024	CIU Board	11151.00	Do
7	M/S Mahajan Construction Co. VPO Chuwari Chamba	MGREGA	Nil/ 01-03-2024	Paver Blocks 788sq	541997.00	Do
8	M/S Mahajan Construction Co. VPO Chuwari Chamba	MGREGA	Nil/ 01-03-2024	Paver Blocks 161.56sq	102946.00	Do
9	M/S Tanishka Tile Industry Nurpur, Kangra	MGREGA	Nil/ 23-05-2024	Interlock Tiles 60MM 31704@21	665784.00	Do
10	M/S Tanishka Tile Industry Nurpur, Kangra	MGREGA	Nil/ 23-05-2024	Interlock Tiles 60MM 17325@21	363825.00	Do
				TOTAL	2499996.74	

Pardhan
Gram Panchayat Samleu
Dev. Block Bhattiyat,
Distt Chamba (H.P.)

प्रधान
ग्राम पंचायत समलेऊ
विकास खण्ड भटियात
तह० डलहौजी जिला चम्बा (हि०प्र०)

(22) 25 24

Annexure "4" Refferred in Audit Para 8.1

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP SAMLEU TO WHOM PAYMENT MADE WITHOUT OBTAINING W, X, FORM W.E.F. 04/2022 TO 03/2024

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID
1	M/S Sharma Enterprises	15th FC	22/	Sand	5.43	8.69	6895.00
	VPO Samleu, Chamba		20-02-2023	Aggre.	10.87	21.09	14555.00
2	M/S Sharma Enterprises	15th FC	35/	Sand	4.24	6.78	5387.00
	VPO Samleu, Chamba		10-03-2023	Aggre.	8.49	16.47	11371.00
3	M/S Sharma Enterprises	MGREGA	Nil/	Sand	48.14	77.02	68000.00
	VPO Samleu, Chamba		01-03-2024	Aggre.	36.81	71.41	54470.00
4	M/S Sharma Enterprises	MGREGA	Nil/	Sand	87.85	140.56	112241.00
	VPO Samleu, Chamba		01-03-2024	Aggre.	52.95	102.72	69734.00
5	M/S Sharma Enterprises	MGREGA	Nil/	Sand	185.47	296.75	242924.00
	VPO Samleu, Chamba		01-03-2024	Aggre.	180.95	351.04	242604.00
6	M/S Sharma Enterprises	MGREGA	Nil/	Sand	50.18	80.29	60744.16
	VPO Samleu, Chamba		01-03-2024	Aggre.	13.59	26.36	17371.20
7	M/S Sharma Enterprises	MGREGA	Nil/	Sand	56.64	90.62	49400.00
	VPO Samleu, Chamba		23-05-2022	Aggre.	36.81	71.41	34580.00
8	M/S Sharma Enterprises	MGREGA	Nil/	Sand	33.70	53.92	29393.00
	VPO Samleu, Chamba		23-05-2022	Aggre.	24.97	48.44	23461.20
				TOTAL	**837.09**	**1463.59**	**1043130.56**

Pardhan
Gram Panchayat Samleu
Dev. Block Bhattiyat,
Disit Chamba (H.P.)

ग्राम पंचायत सचिव
विकास खण्ड भटियात
जिला चम्बा (हि०प्र०)

25

Reppeled in Para no. 9.5

Annexure "5" Payment made without Proper/Tax Bill in R/o GP Samleu Chamba

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID	Remarks
1	M/S Munna Welding Works VPO Samleu, Chamba	SDP	20/ 12-03-2024	Door Pala, Door Jali & Almera	35200.00	Performa Bill Do
2	M/S Sharma Transport, VPO Samleu ,Chamba	15TH FC	09 / 08-09-2022	Hiring Charges of JCB	165000.00	GR
3	M/S Sharma Transport, VPO Samleu ,Chamba	15TH FC	11/ 02-12-2022	Hiring Charges of JCB	80000.00	do
4	M/S Mahajan Construction Co. VPO Chuwari Chamba	MGREGA	Nil/ 01-03-2024	Paver Blocks 728sq	519719.20	Performa Bill
5	M/S Mahajan Construction Co. VPO Chuwari Chamba	MGREGA	Nil/ 01-03-2024	Paver Blocks 788sq	541997.00	do
6	M/S Mahajan Construction Co. VPO Chuwari Chamba	MGREGA	Nil/ 01-03-2024	CIU Board	22302.00	Performa Bill
7	M/S Kartik Tiles VPO Samleu Chamba	MGREGA	Nil/ 01-03-2024	Interlock Tiles40MM	121920.00	do
				Interlock Tiles80MM	184448.50	do
8	M/S Tanishka Tile Industry Nurpur, Kangra	MGREGA	Nil/ 23-05-2024	Interlock Tiles40MM	236960.00	do
				Interlock Tiles 60MM 31704@21	665784.00	do
9	M/S Tanishka Tile Industry Nurpur, Kangra	MGREGA	Nil/ 23-05-2024	Interlock Tiles 60MM 17325@21	363825.00	do
10	M/S Sharma Enterprises VPO Samleu, Chamba	MGREGA	Nil/ 01-03-2024	Sand	242924.00	do
				Aggre.	242604.00	do
11	M/S Sharma Enterprises VPO Samleu, Chamba	MGREGA	Nil/ 01-03-2024	Sand	60744.16	do
				Aggre.	17371.20	do
12	M/S Sharma Enterprises VPO Samleu, Chamba	MGREGA	Nil/ 23-05-2022	Sand	49400.00	do
				Aggre.	34580.00	
				TOTAL	**3584779.06**	

Pardhan
Gram Panchayat Samleu
Dev. Block Bhattiyat,
Distt. Chamba (H.P.)

सचिव
ग्राम पंचायत समलेऊ
विकास खण्ड भटियात
त० डलहौजी जिला चम्बा (हि०प्र०)

Annexure "6" Reffered in Para No. 9.6 Payment made without Joint Sign.
No Stock Entry In R/O GP Samleu

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID
1	M/S Munna Welding Works VPO Samleu, Chamba	SDP	20/ 12-03-2024	Door Pala, Door Jali & Almera	35200.00
2	M/S Sharma Transport, VPO Samleu ,Chamba	15TH FC	09 / 08-09-2022	Hiring Charges of JCB	165000.00
3	M/S Sharma Transport, VPO Samleu ,Chamba	15TH FC	11/ 02-12-2022	Hiring Charges of JCB	80000.00
4	M/S Sharma Enterprises VPO Samleu, Chamba	15th FC	22/ 20-02-2023	Sand Aggre.	6895.00 14555.00
5	M/S Sharma Enterprises VPO Samleu, Chamba	15th FC	35/ 10-03-2023	Sand Aggre.	5387.00 11371.00
6	M/S Munish General Store VPO Samleu, Chamba	14th FC	01/ 17-05-2022	Cricket kit & Volleball etc.	14374.54
				TOTAL	332782.54

ग्राम पंचायत समलेऊ
विकास खण्ड भटियात
डा० डलहौजी जिला चम्बा (हि०प्र०)

Pardhan
Gram Panchayat Samleu
Dev. Block Bhattiyat,
Distt. Chamba (H.P.)

Work Detail Gram Panchayat Samleu, Annexure "7" Refferedin Para no 8.3

Sr. No/ Grant	Work Detail	Work Status	Sanction	Head	Remarks
1	C/o Interlocking Paver Block work at main Road to Panchayat Ghar Samleu Phase 1	Complete	1000000	Mnrega	JE Level
2	C/o Interlocking Paver Block Work at Main Road to Panchayat Ghar Samleu Phase 2	Complete	583000	Mnrega	JE Level
3	C/o Khual Balela nala To lower kandei	On Going	500000	Mnrega	JE Level
4	C/o Pacci Gali at GP Samleu 1	On Going	500000	Mnrega	JE Level
5	C/o Pacci Gali at GP Samleu 2	On Going	500000	Mnrega	JE Level
6	C/o Pucci Gali at Gurdwara to main road gp samleu	On Going	500000	Mnrega	JE Level
7	C/o Rasta at Kaliyalan da Muhalla to Dowala	On Going	300000	Mnrega	Mb no 22783 Page no 96
8	C/o Pucca Path Main Road to Kali mata Mandir Samleu	On Going	300000	Mnrega	Mb no 22783 Page no 96
9	C/o Pucci Gali at Samleu Ward No 3	On Going	1000000	Mnrega	JE Level
10	C/o Pucci Gali Ward no 6	On Going	500000	Mnrega	JE Level
11	C/o Pucci Gali at Samleu Balela ward no 2	On Going	300000	Mnrega	Mb no 22783 Page no 97
12	C/o Pucca Path Ruldu Ram House to Ganesh Kumar House kandei	On Going	1000000	Mnrega	JE Level
13	C/o Pucci Gali at Piple Tree to Nhpc Hospital	On Going	1000000	Mnrega	JE Level
14	Repair Anganwadi Samleu	On Going	81000	SDP	JE Level
15	C/o Drain at Kandei	On Going	73495	15th Fc	
16	Create work Tarkhan da muhalla	On Going	200000	15th Fc	JE Level
		Total	8337495		

28

Pardhan
Gram Panchayat Samleu
Dev. Block Bhattiyat,
Distt. Chamba (H.P.)

सचिव
ग्राम पंचायत समलेऊ
विकास खण्ड भटियात
त० डलहौजी जिला चम्बा (हि०प्र०)

Gram Panchayat Samleu
Block Bhattiyat
Distt. Chamba (H.P.)